-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 31.05.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ई-रिक्शा चोरी करने वाले अभियुक्त को सूचना के 06 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का ई-रिक्शा बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ई-रिक्शा चोरी करने वाले अभियुक्त को सूचना के 06 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि कल दिनांक 30.05.2026 को थाना कोतवाली देहात के ग्राम गुरेह के रहने वाले दीपक पुत्र महावीर ने थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी कि वह अपनी पत्नी को लेकर जिला अस्पताल बांदा आया था जहां से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी ई-रिक्शा चोरी कर ली गई है। सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया तथा मौके पर जाकर आस पास के लोगों से पूछताछ करते हुए एवं ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए सीसीटीवी कैमरे व अन्य तकनीकि साक्ष्यों की मदद से कल दिनांक 30.05.2026 को देर रात्रि सूचना के 06 घण्टे के भीतर अभियुक्त की पहचान करते हुए उसे रेलवे मालगोदाम के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से चोरी की ई-रिक्शा भी बरामद की गई है।

बरामदगी-

- 01 ई-रिक्शा (चोरी की)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. हाशिम भाई पुत्र शकूर खान निवासी खुटला थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 268/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री रामू सिंह चौकी प्रभारी जिला अस्पताल
2. हे0कां0 भैयाराम
3. कां0 शैलेन्द्र कुमार